महासंघअमहा

एम.पी. स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल

''सांची की रेलवे केटरिंग मार्केटिंग एजेंसी'' हेतु आवेदन–प्रपत्र
वर्ष 2018

एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन,
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग हबीबगंज भोपाल – 462024
दूरभाष – +917552580400, 2580401 से 403
फैक्स नम्बर : +917552583149
E- mail : ho.mpcdf@nic.in
Website – www.mpcdf.gov.in

एम.पी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज भोपाल

साँची की रेलवे मार्केटिंग एजेंसी हेतु मुख्य जानकारी

1	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	**22.09.2018 दोपहर 02:00 बजे तक** एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, हबीबगंज, भोपाल
2	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	**22.09.2018 अपरान्ह 3:00 बजे**
3	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	आवेदन के साथ रू.100000/– (एक लाख रूपये मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक ''एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल'' **Payable at** भोपाल के नाम से देय हो
4	आवेदन खोलने का स्थान	मीटिंग हॉल, ''एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल
5	मार्केटिंग एजेन्सी हेतु आवेदन प्रपत्र	**प्रपत्र 01**
6	मार्केटिंग एजेन्सी हेतु तकनीकी अर्हताए	**प्रपत्र 02**
7	मार्केटिंग एजेन्सी हेतु सामान्य शर्ते	**प्रपत्र 03**

8 प्रपत्र क्र.01 ''मार्केटिंग एजेंसी हेतु आवेदन प्रपत्र'', प्रपत्र क्रमांक 02 ''तकनीकी अर्हताएं''एवं प्रपत्र क्रमांक 03 ''मार्केटिंग एजेंसी हेतु सामान्य शर्तें''. हस्ताक्षर व सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे, एवं लिफाफे पर '' साँची की रेलवे मार्केटिंग एजेंसी हेतु आवेदन'' लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम, पता अंकित किया जावे।

9 आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।

10 **आवेदन फार्म एमपीसीडीएफ कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा एमपीसीडीएफ की वेबसाइट www.mpcdf.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं।**

11 EMD राशि के बिना एवं अपूर्ण दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।

प्रपत्र क्र.–01

सांची की रेलवे मार्केटिंग एजेंसी हेतु आवेदन पत्र

1 आवेदक / फर्म का नाम / यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेज़ों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। ....
....

2 प्रोप्रायटर / पार्टनर्स का नाम ....

3 स्थाई पता ....

4. वर्तमान पता..

5 दूरभाष / मोबाईल नं. ....

6 वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कंपनियों के कार्य का विवरण व प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
....

7 वर्तमान में रेल्वे केटरिंग से संबंधित व्यवसाय का टर्न ओव्हर (बेलेंस शीट से साथ पी & एल एकाउंट संलग्न करें)..
....

8 (अ) पेन नम्बर ....

(ब) GSTIN नम्बर ....

(समस्त दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

9 वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) ....

. (अ) चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा ....

(ब) बैंक व वित्तीय संस्था में जमा राशि ....

10 धरोहर राशि। रू...

डी.डी. / एम.आर नं. ....

दिनांक .... प्रपत्र 01 के साथ संलग्न है)

मैं साँची की रेलवे मार्केटिंग एजेंसी से संबंधित इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्ते पढ़ और समझ चुका / चुकी हूं और मान्य करता / करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की गई है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

प्रपत्र क्र.–02

प्रति,

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

Phtographs

प्रबंध संचालक,
एम.पी स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन
हबीबगंज, भोपाल ।

महोदया,

साँची की रेलवे मार्केटिंग एजेंसी हेतु दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों द्वारा मुझे कार्य आवंटित किया जाता है तो मैं एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रू.100000/– (रूपये एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक ....जो कि, ...बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ।

<u>अनिवार्य तकनीकी अर्हताएं</u>

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल /मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4	आवेदनकर्ता/संस्था का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें
5	**जीएसटी नम्बर होना अनिवार्य है। नया कार्य आरंभ करने की स्थिति में आवेदनकर्ता को जीएसटी नम्बर आवेदन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य**		जीएसटी नम्बर/आवेदन की छायाप्रति संलग्न करें।
6	**बैंक का नाम व खाता क्रमांक**		बैंक स्टेटमेन्ट की विगत एक वर्ष की छायाप्रति लगावें।
7	**डेयरी प्लांट से दूध व दुग्ध उत्पाद लेने की तिथि में आवेदक के पास FSSAI लाईसेंस होना अनिवार्य है।**		दूध एवं दुग्ध उत्पाद क्रय करते समय FSSAI लाईसेंस प्रस्तुत करें।
8	**प्रत्येक वर्ष में 10 करोड के टर्नओव्हर के लिए**		प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बेलेंस शीट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट
9	रेल्वे केटरिंग के विभिन्न व्यावसायों का अनुभव	ऑनबोर्ड केटरिंग, फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट,खान–पान स्टॉल, एवीएम	रेल्वे द्वारा दिया गया कार्यादेश

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।
(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर ––––––––––––––––––––––––––
आवेदक/फर्म का नाम :–––––––––––––––––
पता :– ––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––
मोबाईल नं.–––––––––––––––––––––––––
ई–मेल आईडी ––––––––––––––––––––

<u>**प्रपत्र क्र.–03**</u>

साँची की रेलवे मार्केटिंग एजेंसी हेतु आवश्यक शर्ते :-

1. आवेदक को आवेदन के साथ रू.1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक अर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
2. चयनित मार्केटिंग एजेंसी को एमपीसीडीएफ में सुरक्षा निधि रू 10,00,000/– (दस लाख रूपये मात्र) का बैंक डिमांड ड्राफ्ट एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के नाम से जमा करना होगा ।
3. मार्केटिंग एजेंसी का कार्यक्षेत्र भारतीय रेलवे होगा ।
4. आवेदक के पास विक्रय की दृष्टि से रेलवे केटरिंग में रू. 10 करोड़ का कुल टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष होना अनिवार्य होगा। टर्न ओव्हर सत्यापित करने हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के साथ प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदक के पास रेलवे की विभिन्न प्रकार की केटरिंग का अनुभव होना चाहिए जैसे– आन बोर्ड केटरिंग, फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट, खानपान स्टॉल, एवीएम ।
6. एमपीसीडीएफ एवं समस्त दुग्ध संघों की ओर से मार्केटिंग एजेंसी द्वारा रेलवे के बूथ/पार्लर्स की निविदाओं में भाग लिया जावेगा । जिसके लिए लायसेंस फीस का भुगतान एवं अन्य वैधानिक व्ययों का दायित्व भी मार्केटिंग एजेंसी का होगा ।
7. रेलवे द्वारा सांची की मार्केटिंग एजेंसी को आबंटित बूथ/पार्लर्स के संचालन के लिए मार्केटिंग एजेंसी द्वारा प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाएगी । इन बूथ/पार्लर्स प्रतिनिधियों को मार्केटिंग एजेंसी अपने स्वंय के व्यय पर नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगी ।
8. रेलवे द्वारा आबंटित बूथ/पार्लर्स का लायसेंस, किराया राशि, विद्युत सिक्योरिटी, विद्युत उपभोग राशि एवं समस्त प्रकार के कर, पेनाल्टी मार्केटिंग एजेंसी द्वारा जमा की जावेगी । मार्केटिंग एजेंसी द्वारा उक्त राशियां जमा न करने की स्थिति में यह राशियां मार्केटिंग एजेंसी की एमपीसीडीएफ में जमा सुरक्षा निधि से काटकर रेल्वे में जमा करा दी जाएगी ।
9. मार्केटिंग एजेंसी रेलवे में संचालित ऑनबोर्ड केटरिंग, फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट, खानपान स्टॉल, एवीएम जैसे विभिन्न माध्यमों में सांची दूध एवं दुग्ध उत्पादो की प्रदायगी रेल्वे के नियमों का पालन करते हुए कर सकता है।
10. मार्केटिंग एजेंसी को दुग्ध पदार्थ के व्यवस्थित भंडारण हेतु गोडाउन की व्यवस्था करनी होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले वाहनों की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी।
11. मार्केटिंग एजेंसी को अपनी मांग कम से कम 3 दिवस पूर्व एमपीसीडीएफ/संबंधित दुग्ध संघ को लिखित में देनी होगी, किन्तु एमपीसीडीएफ/संबंधित दुग्ध संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार ही मांग की पूर्ति की जा सकेगी। मांग अनुसार उत्पाद का प्रदाय संबंधित संयंत्र वितरण डॉक से किया जाएगा।
12. मार्केटिंग एजेंसी को दूध एवं दुग्ध उत्पाद एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों की निर्धारित नीति अनुसार मात्र अग्रिम भुगतान पर ही प्रदाय किया जाएगा।
13. मार्केटिंग एजेंसी को उत्पाद प्राप्त करते समय उसकी जांच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात किसी भी प्रकार की टूट–फूट हानि की जिम्मेदारी मार्केटिंग एजेंसी की रहेगी।

14. मार्केटिंग एजेंसी को एमपीसीडीएफ की निर्धारित शर्तों अनुसार रू.1000/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर त्रि–पक्षीय अनुबंध एमपीसीडीएफ(प्रथम पक्ष), दुग्ध संघ (द्वितीय पक्ष) एवं आवेदक(तृतीय पक्ष) के मध्य निष्पादित करना होगा। साथ ही मार्केटिंग एजेंसी को पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा, तत्पश्चात् कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोषजनक होने पर इसमें प्रबंध के निर्णय अनुसार एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।

15. मार्केटिंग एजेंसी को रेलवे में विक्रय नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय करना आवश्यक होगा।

16. मार्केटिंग एजेंसी को मासिक लक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

17. सप्लाई मोड संबंधित दुग्ध संघ से एक्स फैक्ट्री रहेगा ।

18. चयनित मार्केटिंग एजेंसी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उसे एमपीसीडीएफ द्वारा कार्य से हटाया जा सकेगा या संबंधित कार्यक्षेत्र में अन्य एजेंसी की नियुक्ति की जा सकेगी ।

19. चयनित मार्केटिंग एजेंसी को दूध एवं दुग्ध उत्पाद विभिन्न दुग्ध संघों में लागू वितरक/सूपर स्टॉकिस्ट दरों पर नियमानुसार दिया जाएगा ।

20. चयनित मार्केटिंग एजेंसी एग्रीमेंट के साथ आपातकाल के लिए पांच बिना दिनांक और राशि लिखे हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक एमपीसीडीएफ में जमा करेंगे। कार्य अवधि समाप्त होने पर ब्लेंक चैक उपयोग न होने की स्थिति में मार्केटिंग एजेंसी को वापस किये जाएंगे ।

21. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल को होगा।

22. प्राप्त आवेदनो का परीक्षण गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा, एवं चयन चयन के संबंध में प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

23. ***मार्केटिंग एजेंसी का चयन – पारदर्शी प्रकिया को अपनाते हुए प्रपत्र कमांक 04 के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन कर प्राप्त किये गए अधिकतम अंको के आधार पर एक मात्र मार्केटिंग एजेंसी का चयन किया जाएगा।***

24. आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर मार्केटिंग एजेंसी की ईएमडी राजसात कर ली जाएगी ।

25. किसी भी विवाद की स्थिति में आर्बीट्रेटर के रूप में प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ रहेंगे एवं उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा ।

मैं/हमनें साँची की रेलवे मार्केटिंग एजेंसी से संबंधित आवेदन एवं समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूं/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे/हमारे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं/हम बिन्दु क्रमांक 01 से 25 तक वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता/करते हैं/हूँ व मेरी/हमारी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं/हम इस हेतु अपनी सहमति देता हूं/देते है ।

हस्ताक्षर

मार्केटिंग एजेंसी/आवेदक का नाम एवं पता

प्रपत्र क्र.–04

चयन प्रकिया

प्रस्तावों का मूल्यांकन करना :–

प्राप्त आवेदनो में से उस आवेदक का चयन किया जाएगा जो निम्न आर्हताओं में उच्चतम स्कोर प्राप्त करेगा

क्र.	आर्हता	मूल्यांकन अंक		अधिकतम अंक	अनिवार्यतः संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़
1	आवेदनकर्ता व पता	म.प्र. में रजिस्टर्ड फर्म	15	15	संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र
		म.प्र. के बाहर अन्य राज्य में रजिस्टर्ड फर्म	10		
2	रेल्वे का कार्यानुभव	फूड प्लाज़ा	10	35	रेल्वे द्वारा दिया गया कार्यादेश
		ऑनबोर्ड केटरिंग	10		
		फास्ट फूड युनिट	5		
		खान–पान स्टॉल	5		
		ऑटोमेटिक वेंडिगं मशीन (एवीएम)	5		
		ऑनबोर्ड केटरिंग, फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट,खान–पान स्टॉल, एवीएम	35		
3	रेल्वे केटरिंग से संबंधित कार्य हेतु टर्नओव्हर रू में	प्रतिवर्ष कम से कम रू. 10 करोड़ का टर्नओव्हर (प्रत्येक वर्ष के लिए पॉंच अंक)	5 x no of years	50	प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बेलेंस शीट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट
		अधिकतम अंक			
4		टोटल		100	